मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 114 / 2024

1. श्यामसुन्दर | पिसरान नेहरूराम जाति ओड साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला
2. राकेश | हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– वादीगण

–:बनाम:–

1. नेहरूराम पुत्र कुनण जाति ओड साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. ललिता पुत्री नेहरूराम पत्नी करण प्रकाश मोयल जाति ओड साकिन रानी बाजार बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान।
3. किरण पुत्री नेहरूराम पत्नी कृष्णलाल जाति ओड साकिन लुद्राणा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. पिंयका पुत्री नेहरूराम पत्नी सुशील कुमार जाति ओड साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:निर्णय:–

दिनांक:–05/08/24

वादीगण की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री चानण राम अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी संख्या 1 को चक 5 पीबीएन के खाता सं. 39 / 16 के प.नं. 53 / 326 (20) किला नं. 1 / 2, 2 ता 4, 5 / 1, 5 / 2, 6 / 1, 6./ 2, 7 ता 9, 10 / 2, 11 / 3, 12 / 1, 13 / 1, 14 / 1, 15 / 3, 15 / 5, प.नं. 54 / 326 (19) किला नं. 1, 2, 9 ता 13, 20 / 1 की कुल 4.416 हैक्ट. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में वादी प्रथम पक्ष सं. 1 श्यामसुन्दर को 1.012 हैक्ट. व वादी प्रथम पक्ष सं. 2 राकेश को 1.012 हैक्ट. के खातेदार काश्तकार घोषित किया किये जाते है शेष प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्ववत ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना [illegible] दिनांक 05/08/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi

Date: 2024.08.12 14:59:23 IST

Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी एवम

पदेन सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा